

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद ।

पत्रांक :- नि० वि० - 1/ एल० आई० डी० -शून्य / 271

दिनांक :- 14.9.2015

सेवा में,

राज्य निर्वाचन अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश,  
लखनऊ

विषय :- पंचायत चुनाव में खण्डीय लेखाधिकारियों / खण्डीय लेखाकारों की चुनाव ड्यूटी न लगाये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में यह सूच्य है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड - 6 के अध्याय 5 में विहित प्रावधानों के ( प्रस्तर सं० 97 से 103 ) के अनुसार खण्डीय लेखाधिकारी / खण्डीय लेखाकार राज्य सरकार के लो० नि० वि० / सिंचाई / लघु सिंचाई / ग्रामीण अभियंत्रण / भूगर्भ जल विभाग के खण्डीय कार्यालयों जहां इनका पद स्वीकृत है, में कार्य सम्पादित करने हेतु इस कार्यालय द्वारा पदस्थापित किये जाते हैं। खण्डीय लेखाधिकारी / खण्डीय लेखाकार केन्द्र सरकार के अधिकारी / कर्मचारी है।

उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में सम्पन्न किये जाने वाले पंचायत चुनाव में राज्य सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगाई जानी सम्भावित है।

अतः यह अनुरोध है कि खण्डीय लेखाधिकारियों / खण्डीय लेखाकारों को केन्द्र सरकार के अधिकारी / कर्मचारी होने के आधार पर इस कार्यालय द्वारा तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रावधानों द्वारा निर्धारित कार्यों से विरत कार्यों में न लगाया जाय जिससे खण्डों में लेखांकन को समयबद्ध तरीके से तथा लेखों की गुणात्मकता सुनिश्चित करते हुये पूर्ण किया जा सके तथा इस कार्यालय को खण्डों से प्राप्त होने वाले मासिक लेखों के आधार पर राज्य सरकार को समेकित मासिक सिविल लेखा इस कार्यालय द्वारा निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जा सके ।

भवदीय,

वरिष्ठ उप महालेखाकार/  
डी० ए० सी० सी०

पत्रांक :- नि० वि० - 1/ एल० आई० डी० - शून्य / 272-276

दिनांक:- 14.9.2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव , लोक निर्माण विभाग , उ० प्र० शासन , लखनऊ ।
- 2- सचिव , सिंचाई विभाग , उ० प्र० शासन लखनऊ ।
- 3- सचिव , लघुसिंचाई विभाग , उ० प्र० शासन , लखनऊ ।
- 4- सचिव , ग्रामीण अभियंत्रण विभाग , उ० प्र० शासन , लखनऊ ।
- 5- निदेशक , भूगर्भ जल विभाग , उ० प्र०, लखनऊ ।

वरिष्ठ उप महालेखाकार/  
डी० ए० सी० सी०